


अभिलेख

सीलींग से अर्जित भूमि के बन्दोबस्तधारियों को बेदखली वाद सं०-1/14-15

अंचल- राघोपुर

जिला- वैशाली

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर						अभ्युक्ति
30.01.2015	दिनांक-27.01.15 के राजस्व ग्राम- वीरपुर मौजा- वीरपुर, थाना- जुड़ावनपुर के बन्दोबस्तधारियों के द्वारा ग्राम- शिविर में बेदखली का आवेदन दिया गया, आवेदक में उद्युत किया गया है कि हमलोगों को वर्ष 85-86 में सीलींग के प्राप्त भूमि में से एक-एक एकड़ भूमि बन्दोबस्त की गयी तथा हमलोग उसी समय से जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद अदा करते रहे हैं, लेकिन जमीन्दारों के द्वारा भूमि से आजतक बेदखल किया गया है तथा भूमि पर उक्त जमीन्दार का ही दखल-कब्जा है। अतः हमलोगों को बन्दोबस्त वाली भूमि पर दखल दिलाने की कृपा की जाये बन्दोबस्तधारी स्व० भू-मालिकों एवं खाता खेसरा रकवा का विवरण निम्न प्रकार हैं:-						
क्र०	जमीन्दार का नाम	पर्चाधारियों का नमा एवं पता	पंचायत मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	
1.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	नरेश राम, पिता- स्व० भंगी राम	वीरपुर	672	862	1 एकड़	
2.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	रामेश्वर राम पिता- सकल राम	वीरपुर	998	3089	1 एकड़	
3.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	लक्ष्मण राम पिता- सकल राम	वीरपुर	672 383	845 2332	95डी०	
4.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	लूटर राम पिता- सकल राम	वीरपुर	383	311 3123 3127	91डी०	
5.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	बीगन राम पिता- सकल राम	वीरपुर	672 673 677	859 937 2645	0.99¼ डी०	
6.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	कलेश्वर राम पिता- सकल राम	वीरपुर	383	3131 2759	0.92डी०	
7.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	धमन राम पिता- भंगी राम	वीरपुर	672	859	1 एकड़	
8.	श्री बाबूलाल सिंह पिता-त्रिभुवन सिंह	वकील राम पिता- रघुनन्दन राम	वीरपुर	672	859	1 एकड़	
जमीन्दार को जमीन खाली करने हेतु नाटिस पत्रांक-76, दिनांक-30.01.2015 निर्गत।							
 Circle Officer. Raighopur. अंचला अधिकारी राघोपुर							